Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

आरोपी संजय को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 05 माह के कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2018 में अभियुक्त संजय पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत के विरूद्ध थाना दोघट पर मु0अ0सं0 463/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 05.04.2025 को मा0 न्यायालय एसीजे(जेडी) जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त संजय को दोषी पाते हुए 05 माह के कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

जनपद बागपत **दिनाँक 05.04.2025**

बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पताः-

1-आरिफ पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-इरशाद पुत्र नजीर निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-आशीष उर्फ मोनू पुत्र राजेन्द्र उर्फ लीलू निवासी ग्राम ग्यारसी उर्फ गाधी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम।

2-थाना बिनौली पुलिस टीम।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत **दिनांक 05.04.2025**

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 168/25 धारा 305(ए)/331(4) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक जोड़ी पायल (सफेद धातु), 03 अंगूठी (सफेद धातु), एक जोडी चुटकी (सफेद धातु), एक गले का हार (पीली धातु), एक जोडी झुमके (कुन्डल) (पीली धातु), 1350 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 स्प्लेन्डर प्लस बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.03.2025 को थाना बड़ौत पर वादी मुफ्ती रगीब प्रवेज पुत्र स्व0 जब्बार निवासी ग्राम हिलवाड़ी थाना बड़ौत जनपद बागपत हाल निवासी मौ0 पठानकोट बड़ी मस्जिद कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 21.03.25 को किसी अज्ञात चोर द्वारा मौ0 पठानकोट बड़ी मस्जिद कस्बा बडौत से वादी के कमरे में लगे ताले को तोड़कर उसमें रखी अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने व चाँदी के आभूषण तथा 28500 रुपये की चोरी कर ली है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बड़ौत पर मु0अ0सं0 168/25 धारा 305(ए)/331(4) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 168/25 धारा 305(ए)/331(4) बी.एन.एस. का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुयी एक जोड़ी पायल (सफेद

धातु), 03 अंगूठी (सफेद धातु), एक जोडी चुटकी (बिछवे) (सफेद धातु), एक गले का हार (पीली धातु), एक जोडी झुमके(कुन्डल) (पीली धातु), 1350 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 हीरो स्प्लेन्डर प्लस नं0 UP15DQ-1813 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बी.एन.एस. की वृद्धि की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

उमर फारुख पुत्र तोसिन निवासी ग्राम कुलन्जन थाना सरधना जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण-

- एक जोड़ी पायल (सफेद धातु)।
- 03 अंगूठी (सफेद धातु)।
- एक जोडी चुटकी (बिछवे) (सफेद धातु)।
- एक गले का हार (पीली धातु)।
- एक जोडी झुमके(कुन्डल) (पीली धातु)।
- 1350 रुपये नगद।
- घटना में प्रयुक्त एक मो0सा0 हीरो स्प्लेन्डर प्लस नं0 UP15DQ-1813

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2-का0 545 मनीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

3-का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 05.04.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 45/25 धारा 191(2)191(3)/115(2)/351(3)/352/109 बीएनएस व मु0अ0सं0 53/25 धारा 115(2)/351(3)/352/110 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

1.दिनांक 16.03.2025 को थाना रमाला पर वादी बादल पुत्र राजकुमार निवासी बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त गौरव निवासी जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वादी व वादी के पिताजी श्री राजकुमार के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा बेहोश होकर गिर गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 53/25 धारा 110/115(2)/352/351 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

2. दिनांक 25.02.2025 को थाना रमाला पर वादी किरणपाल पुत्र कनकसिंह निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.संजीव उर्फ काला पुत्र देवेन्द्र, 2. प्रदीप पुत्र राजेश निवासीगण ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत व 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के साथ एक राय होकर धारदार हथियारों से जान से मारने की नियत से मारपीट की गई व गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 45/2025 धारा 191(2)191(3)/115(2)/351(2)/352/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 45/25 धारा 191(2)191(3)/115(2)/351(3)/352/109 बीएनएस व मु0अ0सं0 53/25 धारा 115(2)/351(3)/352/110 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद होने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 78/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

गौरव पुत्र महक सिंह निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गौरव -

1. मु0अ0सं0 09/24 धारा 323/427/504/506 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 20/20 धारा 323/352 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 23/25 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत ।
4. मु0अ0सं0 59/20 धारा 307/323/452/504 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
5. मु0अ0सं0 66/23 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत ।
6. मु0अ0सं0 89/21 धारा 147/148/149/307/323/452/504/506 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
7. मु0अ0सं0 154/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
8. मु0अ0सं0 200/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
9. मु0अ0सं0 207/22 धारा 147/148/149/323/324/352/427/504/506 भादवि व 7 सी0एल एक्ट थाना रमाला जनपद बागपत ।
10. मु0अ0सं0 233/19 धारा 392 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
11. मु0अ0सं0 271/17 धारा 398/401 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत ।
12. मु0अ0सं0 78/25 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत ।
13. मु0अ0सं0 45/25 धारा 191(2)191(3)/115(2)/351(3)/352/109 थाना रमाला जनपद बागपत ।
14. मु0अ0सं0 53/25 धारा 115(2)/351(3)/352/110 बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-व0उ0नि0 ओमपाल सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

3-है0का0 164 विकास नागर थाना रमाला जनपद बागपत।

4-है0का0 549 ओमप्रकाश थाना रमाला जनपद बागपत।